राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1113/2015/उदयपुर.
2. अपील संख्या – 1114/2015/उदयपुर.
3. अपील संख्या – 1115/2015/उदयपुर.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त–बी, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मानसून पैलेस रिसोर्टस प्रा0 लिमिटेड, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री सुनील अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15/09/2016

निर्णय

1. यह तीनों अपीलें अपीलार्थी सहायक आयुक्त, वृत्त–बी, उदयपुर ने अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 133, 134, 135/वेट/2014–15/उदयपुर में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 21.01.2015, के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त बी, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित आदेश दिनांक 20.08.2014 के तहत अपील संख्या 133 कर निर्धारण वर्ष 2011–12 में निर्धारित कर 22169/– आरोपित शास्ति 44338/– व ब्याज 7981/– कुल मांग राशि 74488/–; अपील संख्या 134 कर निर्धारण वर्ष 2012–13 में निर्धारित कर 27629/– आरोपित शास्ति 55258/– व ब्याज 6631/– कुल मांग राशि 89518/– एवं अपील संख्या 135 कर निर्धारण वर्ष 2013–14 में निर्धारित कर 84470/– आरोपित शास्ति 168940/– व ब्याज 10136/– कुल मांग राशि 263546/–, को विवादित किया गया था, में आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखा जाकर शास्ति को अपास्त करते हुए अपीलकर्ता की अपीलें आंशिक स्वीकार की गई थी, प्रस्तुत अपीलों में अपीलार्थी द्वारा अपास्त शास्ति को विवादित किया गया है।

लगातार.....2

2. तीनों अपीलों में समान बिन्दु निहित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी एक होटल व्यवसायी है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 06.05.2014 को होटल के सर्वेक्षण में पाया गया कि व्यवहारी द्वारा फूड ब्रेवरेज एवं लिकर की बिक्री पर जो सर्विस टैक्स चार्ज किया है, उस पर वैट नहीं चुकाया है, अतः इस आधार पर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है।

4. अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने बहस में अपीलीय अधिकारी के आदेश को शास्ति के बिन्दु पर अवैधानिक एवं गलत होने का कथन किया। धारा 61 में शास्ति अपास्त करने को तथ्यों एवं विधि के अनुसार उचित नहीं होने का कथन किया तथा अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत होने का कथन किया एवं समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड, की माननीय खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 842 से 845/2008/जयपुर व अपील संख्या 663, 664, 726, 1054/2009/जयपुर में निर्णय दिनांक 31.07.2015** की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें धारा 61 एवं 65 की शास्ति को अपास्त किया गया है। बहस के अन्त में अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया।

7. पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने सर्विस टैक्स की राशि लेखों में घोषित कर रखी है तथा उसने किसी तरह से छिपाया नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को सर्विस टैक्स की राशि को लेखा पुस्तकों में छिपाने का दोषी सिद्ध नहीं किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मैसर्स श्रीकृष्णा इलैक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू राज्य न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (एससी)** में निम्न व्यवस्था दी है :—

> "So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found in corporated in the appeallant's account books. Where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities included these items in the dealer's turnover disallowing the exemption, penalty can not be imposed. The penalty levied stands set aside.

लगातार.....3

8. अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था के प्रकाश में शास्ति अपास्त की है। अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

9. अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।

13/09/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य